सं.II–27012/13/2019–पीएफ. III(I)
भारत सरकार
(गृह मंत्रालय)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 21 फरवरी, 2019

सेवा में,

महानिदेषक
असम राईफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ,
आईटीबीपी, एसएसबी एवं एनएसजी,
नई दिल्ली

विषयः– <u>सीएपीएफ कार्मिकों को हवाई यात्रा का प्राधिकार।</u>

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को एक वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन एस आर 48 बी 4 (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएपीएफ, ए आर एवं एनएसजी के वे कार्मिक जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है उनको कार्यालय डयूटी/स्थानांतरण/दौरा तथा छुट्टियों के संबंध में जम्मू से श्रीनगर तथा वापसी की हवाई यात्रा के लिए (जम्मू में बेस प्वाइंट पर खत्म/षुरु होने पर) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेष दिया जाता है।

2. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एक वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन एस आर 48 बी 4 (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएपीएफ, ए आर एवं एनएसजी के वे कार्मिक जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं, उनको कार्यालय डयूटी/स्थानांतरण/दौरे के संबंध में दिल्ली से श्रीनगर तथा वापसी की हवाई यात्रा की भी अनुमति दी जाती है।

3. यह इस आदेष के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4. यह इस मंत्रालय के दिनांक 20.02.2019 के उप सं0 सीएफ–3452000/एस एस एंड एफ ए(एच)/2019 के तहत इस मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय

(आर एस खीची)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः–

1. असम राईफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं एनएसजी के वित्तीय सलाहाकार।
2. असम राईफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं एनएसजी के वेतन एवं लेखा अधिकारी।
3. एएफए (वित्त I), पीएफ–I,II, IV, V & VI डेस्क, गृह मंत्रालय
4. यूएस(जी) डेस्क, 2आईसी (वायु), गृह मंत्रालय
5. गार्ड फाइल

प्रति सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. गृह सचिव के वरिष्ठ पीपीएस
2. एस एस एवं एफ ए(एच) के पीपीएस
3. एएस(पी) के पीपीएस
4. सलाहाकार(पी–II) के पीपीएस
5. निदेषक(वित्त/कार्मिक)(निदेषक(पीएफ) के निजी सचिव

(आर एस खीची)
अवर सचिव, भारत सरकार